पाठ 25

हमारी न्यायपालिका

आइए सीखें

- न्यायालयों की आवश्यकता क्यों है?
- एकीकृत न्याय प्रणाली क्या है?
- उच्चतम न्यायालय - संगठन, न्यायाधीशों की योग्यताएँ, नियुक्ति व कार्य।
- उच्च न्यायालय - संगठन, न्यायाधीशों की योग्यताएँ, नियुक्ति व कार्य।
- लोक अदालतें और लोक रूचिवाद क्या है?

रामू घर से घूमते-घूमते खेतों की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा कि श्यामू के पिता और राधा के पिता में झगड़ा चल रहा है। झगड़े का कारण एक मेड़ थी, जो राधा के पिता और श्यामू के पिता के खेतों के बीच में थी। दोनों का झगड़ा मारपीट तक बढ़ गया। इस झगड़े को सुलझाने के लिए गाँव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने झगड़ा सुलझाने का प्रयास किया, किन्तु वे नहीं माने। श्यामू के पिता ने उच्चतम न्यायालय तक जाने की बात कही।

रामू ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि यह उच्चतम न्यायालय क्या है?

रामू के पिताजी ने बताया कि हमारे देश के संविधान में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है। इसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालयों के अधीन जिलों में स्थापित जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं।

एकीकृत न्याय प्रणाली

उच्चतम न्यायालय हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, अतः इसे सर्वोच्च (उच्चतम) न्यायालय कहा जाता है। यह दिल्ली में स्थित है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं तथा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं।

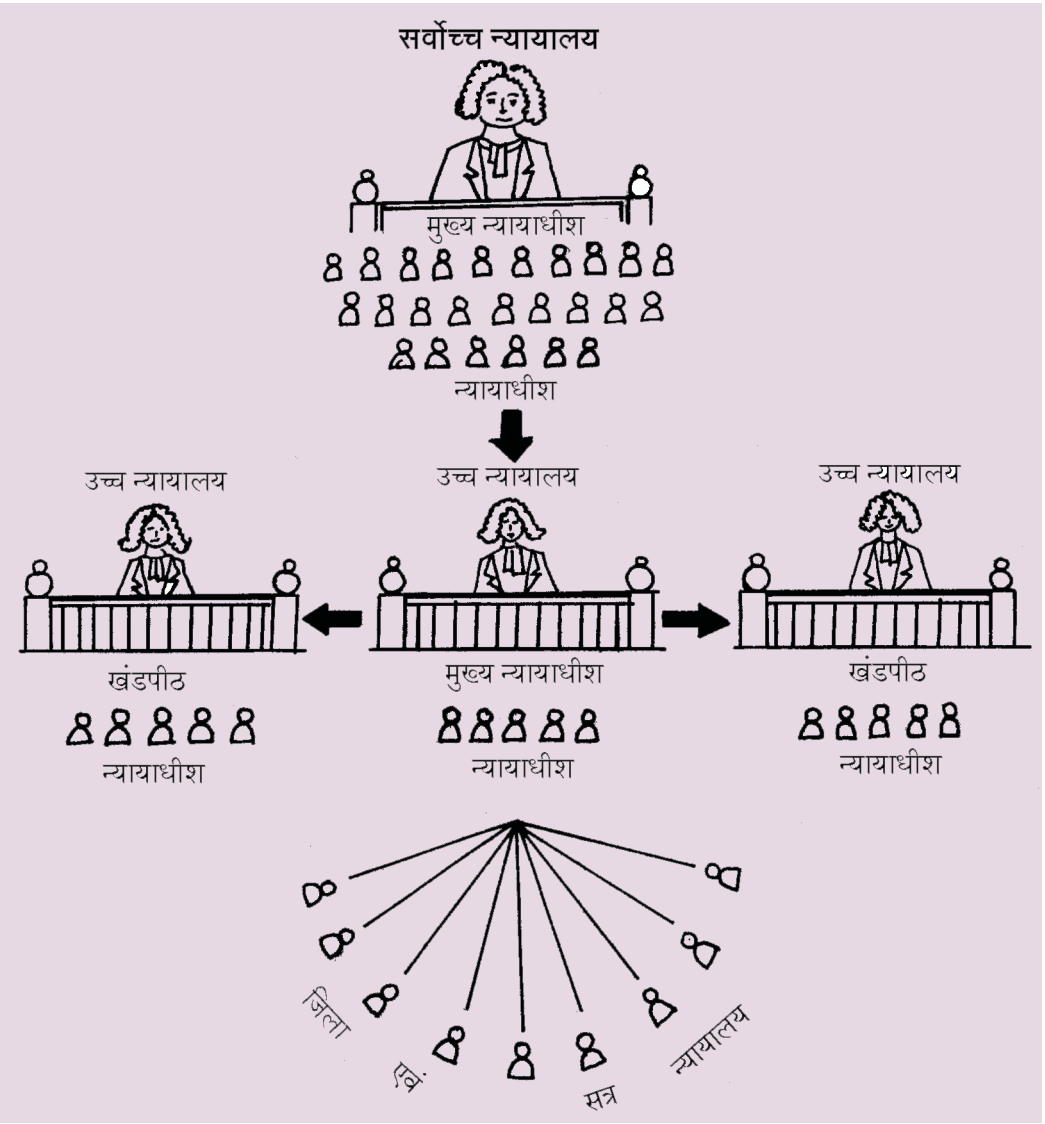

चित्र क्र.-52: एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था

न्यायाधीश पद के लिए योग्यताएँ

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है—

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह पाँच वर्ष तक किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, अथवा दस वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत की हो।
3. राष्ट्रपति की दृष्टि से वह कानून का अच्छा जानकार अर्थात् पारंगत विधि विशेषज्ञ हो।

कार्यकाल

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के बाद 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश

पद पर कार्य कर सकते हैं। यदि न्यायाधीश चाहे तो स्वयं त्याग-पत्र देकर निर्धारित आयु से पूर्व भी पदमुक्त हो सकते हैं। संविधान से असम्मत आचरण करने पर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें पद से पृथक किया जा सकता है।

कार्य एवं शक्तियाँ (क्षेत्राधिकार)

उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हम तीन प्रमुख भागों में विभाजित कर समझ सकते हैं। यह इस प्रकार हैं–

1. **प्रारंभिक क्षेत्राधिकार :** इसके अन्तर्गत ऐसे मामले आते हैं, जो सीधे उच्चतम न्यायालय में सुने जा सकते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं–

   अ. ऐसे मामले जो केन्द्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हों तथा राज्यों के मध्य संवैधानिक मामलों से संबंधित विवाद।

   ब. ऐसे मामले जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हों।

2. **अपील सुनने का अधिकार :** इसका अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय में (संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी) सभी प्रकार के मामलों में राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। निम्नलिखित स्थितियों में कोई मामला उच्चतम न्यायायलय में जा सकता है–

   अ. यदि विवाद संविधान के अर्थ से संबंधित है।

   ब. यदि उच्च न्यायालय मामले को उच्चतम न्यायालय में विचार किए जाने योग्य मानता हो।

   स. यदि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को बदलकर किसी व्यक्ति को फाँसी की सजा दी हो।

   द. यदि उच्चतम न्यायालय कानूनी दृष्टि से किसी मामले को महत्वपूर्ण मानता हो।

3. **संविधान एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा :** सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून जो संविधान के विपरीत हो, सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उनकी रक्षा भी करता है।

उच्चतम न्यायालय, अभिलेख न्यायालय भी है। इसके सभी निर्णयों का प्रकाशन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को कानून की मान्यता प्राप्त है।

उच्च न्यायालय

भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय के अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थापित है। इसकी दो खण्डपीठ– ग्वालियर व इन्दौर में है।

उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की संख्या राज्य विधानमण्डल निश्चित करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है।

चित्र क्र.-53: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय भवन

न्यायाधीश पद के लिए योग्यताएँ

किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है–

1. वह भारत का नागरिक हो।

2. वह राज्य के किसी भी न्यायालय में कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो अथवा दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

कार्यकाल

राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे सकते हैं। संविधान विरुद्ध कार्य करने पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग लगाकर इन्हें पद से पृथक किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियाँ

उच्च न्यायालयों को निम्नांकित अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं–

1. न्यायिक अधिकार : गम्भीर प्रकृति के मामले (जैसे- वसीयत, विवाह-विच्छेद, कम्पनी विधि, न्यायालय का अपमान आदि), मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी मामले सीधे ही उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं।

2. उच्च न्यायालयों को दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों में राज्य की सीमा में अपील सुनने का अधिकार है।

3. राज्यों में स्थित जिलों के जिला न्यायालय यदि किसी मामले में मृत्युदण्ड की सजा देते हैं तो उस राज्य के उच्च न्यायालय से अनुमोदन आवश्यक है।

4. अन्य कार्य : उच्चतम न्यायालय के समान उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की देख-रेख व नियंत्रण करते हैं। राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो संविधान सम्मत न हों, राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी इनका कार्य है।

लोक आदालतें

हमारे देश के आम नागरिक तथा गरीबों को सस्ता, सुलभ तथा शीघ्र न्याय देने के लिए लोक अदालतें गठित की गई हैं। लोक अदालतों में सरल ढंग से आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। समाज के सम्मानित नागरिक तथा कानून के जानकार इन अदालतों का सहयोग करते हैं।

लोक रुचिवाद

सामान्य जन की भलाई के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कभी-कभी अनजाने में किसी का उत्पीड़न हो जाता है। किसी व्यक्ति या समूह को किसी कारणवश कोई क्षति हो जाती है। ऐसे लोगों को न्याय दिलाने और उनकी रक्षा के लिए हमारी न्यायपालिका प्रतिबद्ध है। ऐसे लोगों की पीड़ा न्यायालय तक पहुँचाने के लिए कोई व्यक्ति या स्वयंसेवी संगठन पत्र लिखकर सूचित कर सकते हैं। न्यायपालिका ऐसे मामलों की सुनवाई करती है। इसे ही लोक रुचिवाद कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए–

(1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति आयु सीमा है—

(अ) 65 वर्ष (ब) 62 वर्ष

(स) 67 वर्ष (द) 60 वर्ष

(2) राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय सलाह ली जाती है—

(अ) मुख्यमंत्री से (ब) राज्यपाल से

(स) शिक्षा मंत्री से (द) किसी से नहीं

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(1) उच्चतम न्यायालय ..... में स्थित है।

(2) न्यायाधीश पद के लिए ..... का नागरिक होना चाहिए।

(3) भारत के ..... मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

(4) मध्यप्रदेश का उच्च न्यायालय ..... में स्थित है।

3. लघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं?

(2) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए?

(3) उच्च न्यायालय के दो प्रमुख कार्य बताइए?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

(1) उच्चतम न्यायालय के अधिकार व शक्तियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य–

- म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुके किन्हीं पाँच व्यक्तियों के चित्र संकलित कर अपनी कक्षा में दिखाएँ।